उत्तराखण्ड शासन

ईमेल आई0डी0– info@ukmc.in
दूरभाष / फैक्स नं0 0135–2781201

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

पत्रांक 280-286 दिनांक 01/7/2019

डॉ0 आर0के0जैन, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2019 को अपराहन 2.00 बजे अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून में आयोग की सम्मपन बैठक का कार्यवृत्त–

बैठक की उपस्थिति–

1–डॉ0 आर0के0जैन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
2–श्री थामस पी0वी, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
3–श्री अजगर अली, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
4–श्री राव काले खॉ, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
5–श्री अब्दुल हफीज, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
6–श्री हेमन्त जोजफ, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
7–श्रीमती सीमा जावेद, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
8–श्री सन्तोख सिंह नागपाल, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
9–श्री गुलाम मुस्तफा, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून।
10–जे0एस0रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।

बैठक में सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी नवनियुक्त मा0 सदस्यों का परिचय करने उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2– बैठक में आयोग के सदस्य स्व0 गुरमीत सिंह दुग्गल की दिनांक 09, मई, 2019 को आकस्मिक निधन होने पर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करने एवं उनके परिवार को इस दुखद घटना में दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गयी।

3– बैठक में सचिव, अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा सभी नवनियुक्त मा0 सदस्यगणों को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम की प्रति उपलब्ध कराते हुए

अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत जानकारी दी गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यगणों को आयेाग के अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने व मा0 आयेाग की गरिमा के अनुसार अनुशासन बनाये रखने की अपेक्षा की गयी है।

(कार्यवाही–आयोग के समस्त सदस्यगण)

4– मा0 आयोग द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2003 की धारा 9 की उपधारा –(1), (2), (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों तथा अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग विनियमावली–2019 में 11 बिन्दुओं पर प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे यह नियमावली उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक समुदाय के जातियों के लिए राज्य आयोग (प्रक्रिया और कार्य संचालन) विनियमावली 2019 कही जायेगी। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से अपेक्षा है कि विनियमावली–2019 को नियमानुसार शासन स्तर की अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे।(विनियमावली की प्रति संलग्न)

(**कार्यवाही**–अल्पसंख्यक कल्याण,विभाग उत्तराखण्ड शासन)

5. श्रीमती सीमा जावेद, मा0 सदस्य उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण भवन में आयोग के सदस्यों हेतु कक्ष आवंटित किया जाये, व अल्पसंख्यक कल्याण भवन के सभागार में ए0सी0 भी जनसुविधा हेतु लगाया जाय। इसमें सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि मा0 आयेाग के सदस्यों हेतु अल्पसंख्यक कल्याण भवन पर नियमानुसार कक्ष आवंटित करते हुए सभागार में जनसुविधा हेतु ए0सी0 भी लगाये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(**कार्यवाही**–निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड)

5 श्री अब्दुल हफीज, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग द्वारा अवगत कराया गया कि सुदूर जिला पिथौरागढ़ से जनपद देहरादून में आयेाग की बैठक एवं अन्य कार्य से उपस्थित होते है, व होटलों में रह कर विभिन्न प्रकार की परेशानियॉ उत्पन्न होती है, इस प्रकार अन्य सदस्यों द्वारा भी समस्या बतायी गयी है। सभी सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया गया है कि मा0 सदस्यों हेतु भी राजकीय अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था की सुविधा के आदेश दिये जायें। श्री सन्तोख सिंह नागपाल, मा0 सदस्य उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 सदस्यों का अतिथि गृहों में ठहरने की व्यवस्था के अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण भवन परिसर में दो कक्ष निर्मित किये जाने से समस्या का समाधान हो सकता है। श्री सन्तोख सिंह नागपाल मा0 सदस्य द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 विधायक जी विधानसभा क्षेत्र रायपुर से विधायक निधि से दो कक्ष बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य स्वयं मा0 विधायक जी से अनुरोध करेंगे।

(**कार्यवाही**–अल्पसंख्यक कल्याण,विभाग उत्तराखण्ड शासन)

6– नवनियुक्त मा0 सदस्यों द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में सदस्यगणों हेतु मासिक मानदेय रू0 25000/– के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य की भांति उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को भी सुविधाएं अनुमन्य की जाये। इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित है।

(**कार्यवाही**– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन।)

7– श्री राव काले खॉ, मा0 सदस्य उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग द्वारा अवगत कराया गया कि विगत दिनांक 22, जून, 2019 को स्थान पिरान कलियर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयेाग के सदस्य की प्रधानमंत्री जी के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की सम्पन्न बैठक में मा0 आयेाग के मा0 सदस्य श्री अजगर अली व स्वयं व अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, बैठक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हरिद्वार द्वारा उन्हें भोजन आदि एवं अन्य प्रकार से सम्मानित नहीं किया गया। बैठक में जिलाधिकारी हरिद्वार भी उपस्थित थे, इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया गया कि जनपद में होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने पर सदस्यों का सम्मान होना आवश्यक है। सभी जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा है कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यगण के जनपद के कार्यक्रम मं प्रतिभाग एवं जनपद भ्रमण पर नियमानुसार सम्मान दिया जाय।

(**कार्यवाही**– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,/पुलिस अधीक्षक)

8– बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 166/XXVII(7)/2008 दिनांक 29, अप्रैल, 2008 के अनुसार अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया, इस सम्बन्ध में सचिव, अल्पसंख्यक आयेाग को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी कार्यवाही चाहे व जनता की शिकायत हो, अथवा मा0 अल्पसंख्यक आयोग के (मा0 उपाध्यक्ष/सदस्यगण) सुझाव व अन्य कार्यवाही हेा, बिना अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी प्रकार से सचिव, अल्पसंख्यक आयेाग अपने स्तर से कार्यवाही नहीं करेंगें। सभी कार्यवाही सचिव, अल्पसंख्यक आयेाग के द्वारा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयेाग की अनुमति के पश्चात् ही कार्यवाही की जायेगी।

(**कार्यवाही**– सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग)

अतः में बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दो से त्रैमासिक बैठक के निर्देश देते हुए, उपस्थित सभी प्रतिभागी गणों का सधन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

डॉ0 आर0के0जैन
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

पत्रांक 280-286/ उ0अ0स0/बैठक–कार्यवृत्त/2019–20 दिनांक 01 ~~जून~~ जुलाई 2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2– निजी सचिव, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

3– सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन।

4– निदेशक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण देहरादून।

5– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तराखण्ड।

6– बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागी गण।

7– गार्ड फाईल।

(जे0एस0रावत)
सचिव
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।